डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

बुद्धु पुत्र देवीलाल जाति माली उम्र 50 साल निवासी –होली खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली राज0 (मृतक)

1/1–पूरन माली
1/2–पिन्टू माली } पुत्रान बुद्धु माली
1/3–राजेश माली
1/4–सुनीता पुत्र बुद्धु माली
1/5–श्रीबाई बेवा बुद्धु माली

सभी जाति माली निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तह0 व जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

1. घीस्या पुत्र कल्ली जाति माली उम्र 60 साल निवासी भंवर विलास के पास करौली (मृतक)
   1/1–परसराम } पुत्रान घीस्या
   1/2–जीवन
   1/3–अंगूरी पुत्री घीस्या
   जाति माली नि0 भंवरविलास के पीछे डां. बलराम के मकान के पास करौली तह0 व जिला करौली
2. तहसीलदार करौली (लैण्ड होल्डर) करौली
3. नगर पालिका करौली जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका करौली
4. श्रीमति लीला देवी पत्नि बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोपालपुर तह0 मण्डरायल जिला करौली
5. सीताराम शर्मा पुत्र ईश्वरीप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्डरायल रोड करौली तह0 व जिला करौली
6. हरिओम पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण निवासी दरगंवा तहसील मण्डरायल जिला–करौली राज0
7. लदूर पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण निवासी दरगंवा तहसील मण्डरायल जिला करौली
8. हरफूल पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण नि0 दरगंवा
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण नि0 दरगंवा
10. श्रीमति पूनी पत्नि प्रभु जाति माली नि0 केशवपुरा करौली तह0 करौली
11. श्रीमति राधादेवी पत्नि कैलाशचन्द मित्तल जाति महाजन नि0 ट्रक यूनियन हनुमान जी चौराहा करौली तह0 करौली
12. महेश चन्द गुप्ता पुत्र रामस्वरूप जाति अग्रवाल निवासी करौली
13. रामबाबू पुत्र जीवनलाल जाति ब्राहमण निवासी वाहे का पुरा तह0 मण्डरायल
14. श्रीमति सविता गुप्ता पत्नि घनश्याम गुप्ता जाति महाजन नि0 करौली राज0

––प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 88, 188 आर0टी0एक्ट
मु.नं. 29/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निज ..... मुवलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/12/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–17 / 09 तारीख रजु:–26.02.09

उनवान

बुद्धु पुत्र देवीलाल जाति माली उम्र 50 साल निवासी –होली खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली राज0 (मृतक)

1 / 1–पूरन माली
1 / 2–पिन्टू माली
1 / 3–राजेश माली
1 / 4–सुनीता पुत्र बुद्धु माली
1 / 5–श्रीबाई बेवा बुद्धु माली

पुत्रान बुद्धु माली

सभी जाति माली निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तह0 व जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

1. घीस्या पुत्र कल्ली जाति माली उम्र 60 साल निवासी भंवर विलास के पास करौली (मृतक)
   1 / 1–परसराम
   1 / 2–जीवन
   1 / 3–अंगूरी पुत्री घीस्या

   पुत्रान घीस्या

   जाति माली नि0 भंवरविलास के पीछे डां. बलराम के मकान के पास करौली तह0 व जिला करौली
2. तहसीलदार करौली (लैण्ड होल्डर) करौली
3. नगर पालिका करौली जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका करौली
4. श्रीमति लीला देवी पत्नि बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोपालपुर तह0 मण्डरायल जिला करौली
5. सीताराम शर्मा पुत्र ईश्वरीप्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्डरायल रोड करौली तह0 व जिला करौली
6. हरिओम पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण निवासी दरगंवा तहसील मण्डरायल जिला–करौली राज0
7. लदूर पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण निवासी दरगंवा तहसील मण्डरायल जिला करौली
8. हरफूल पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण नि0 दरगंवा
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामहेत जाति आदि गौड ब्राहमण नि0 दरगंवा
10. श्रीमति पूनी पत्नि प्रभु जाति माली नि0 केशवपुरा करौली तह0 करौली
11. श्रीमति राधादेवी पत्नि कैलाशचन्द मित्तल जाति महाजन नि0 ट्रक यूनियन हनुमान जी चौराहा करौली तह0 करौली
12. महेश चन्द गुप्ता पुत्र रामस्वरूप जाति अग्रवाल निवासी करौली
13. रामबाबू पुत्र जीवनलाल जाति ब्राहमण निवासी वाहे का पुरा तह0 मण्डरायल
14. श्रीमति सविता गुप्ता पत्नि घनश्याम गुप्ता जाति महाजन नि0 करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 88, 188 आर0टी0एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 27/2/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 7011 वाके कस्बा करौली रकवा 1 वीघा 4 विस्वा वादी के खास बाबा कल्ली पुत्र लच्छा के खातेदारी पुरखो के समय की पैतृक सम्पत्ति स्थित है वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 खास चाचा भतीजे है। सजरा मद नंबर 1 मे दर्ज है। घीस्या शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है आराजी खसरा नंबर 7011 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा को वादी के बाबा कल्ली जब तक जिन्दा रहे तब तक उन्होने काश्त की तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादी के पिता एवं वादी ने उक्त भूमि को काश्त किया क्योंकि प्रतिवादी नौकरी पर रहता था वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने भूमि को काश्त किया वादी बिल्कुल अनपढ व्यक्ति है प्रतिवादी नं0 1 सरकारी नौकरी में रहने के कारण चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है प्रतिवादी घीस्या ने कल्ली की मृत्यु के बाद करीब 35–40 साल पहले पटवारी हल्का से साज करके विवादित आराजी खसरा नं0 7011 वाके कस्बा करौली का खाता फर्जकारी करते हुये वादी से पोशीदा रखते हुयें अपने नाम विधि विरूद तरीके से करा लिया लिया जिसकी कोई जानकारी हमे नही हुई क्योंकि प्रतिवादी नक्बर 1 से हमारे संबंध कभी खराब नही हुये लेकिन घीस्या और गपेशी ने आपस में इस जमीन के बारे में कहन सुन किये दिनांक 1.9.08 को होने पर वादी को शक हुआ तो वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 से दिनांक 2.9.08 को कहा कि चाचा घीस्या अब तुम्हारे दिल में बेईमानी आ रही हैतुमने इस शामलाती भूमि में से बिना मेरे पूछे सीताराम, लीलादेवी, हरिओम, लटूर, हरफूल, राजेन्द्र, श्रीमति पूनी, राधा देवी, महेश, रामबाबू को प्लाट बेच दिये है जो गलत है इसलिए तुम जमीन का बंटवारा करके आधी जमीन मेरी अलग करदो तो प्रतिवादी नं0 1 घीस्या ने कहा कि अभी तो कुछ प्लाट ही बेचे है पूरी जमीन खाली पटटी है इसमें से आधी जमीन तू ले लेना उसके पश्चात वादी कईयो बार प्रतिवादी नं0 1 के यहां गया तो वह कभी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पटवारी का कभी अधिकारी का नही होने का बहाना बनाकर मुझे टालता रहा अन्त में दिनांक 18.1.09 को प्रतिवादी नं0 1 घीस्या ने वादी से कहा कि जमीन का खाता मेरे नाम है मै तुम्हें कोई भी हिस्सा नही दूंगा तो वादी ने दिनांक 19.1.09 को विवादित भूमि की जमाबंदी की नकले प्राप्त करने की दर0 लगाई जो वादी को दिनांक 20.02.09 को प्राप्त हुई इनको देखने पर पता चला कि प्रतिवादी ने कल्ली की मृत्यु के पश्चात जमीन का खाता पटवारी हल्का बदलने का कोई भी नामान्तकरण का नोट जमाबंदी पर अंकित नही है। संवत 2023–2026 की जमाबंदी में खातेदारी कल्ली पुत्र लच्छा के नाम अंकित है तथा संवत 2027 से 2030 की जमाबंदी में खातेदारी घीस्या पुत्र कल्ली के नाम अंकित है जबकि इन दोनों ही जमाबंदियों में नामान्तकरण का नोट अंकित नही है जो प्रतिवादी नं0 1 की फर्जकारी को स्पष्ट करात है। विवादित भूमि में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी अपने हिस्से को अलग करा कर अपने नाम की घोषणा 1/2 हिससे की तथा बंटवारा कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात खसरा नं0 7011, 90बी के तहत नगर पालिका करौली को स्थानान्तरित की जा चुकी है जिसकी मुझ वादी को कोई जानकारी नही थी और ना ही मुझ वादी की कोई सहमति थी इस कारण वादी 90बी के उक्त आदेश को अपने हक हकूको पर बेअसर करार दिलवाने का अधिकारी है। इस कारण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका करौली को दावे में पक्षकार बनाया जा रहा है। चूंकि तहसीलदार लैण्ड होल्डर है इस कारण उसे वहैसियत प्रतिवादी दावा दर्ज किया जा रहा है। प्रतिवादी सहजोर ताकतवर व्यक्ति है और जबरन विवादित भूमि में आवासीय भूखण्ड व्यय करके वादी के हक हकूक को समाप्त करना चाहता है इस कारण प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विवादित भूमि के शेष रकवे 1/2 में किसी भी प्रकार से रहन वय मुन्तकिल नही करे यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नही किया गया तो वादी के हक हकूको पर भारी आघात होगा जिसकी पूर्ति जरिये नकद कतई संभव नही है वादी विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

अपने नाम कराकर बंटवारा कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दिनांक 18.01.09 को अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर मियाद पेश है श्रीमानजी को दावा सुनने के पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 7011 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा वाके कस्बा करौली का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 7011 वाके कस्बा करौली का बंटवारा कराया जाकर 1/2 हिस्सा वादी का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स सेपरेट किया जावे प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से 1/2 में किसी प्रकार की मदाखलत ना तो सवयं करे ना किसी अन्य से कराये तथा विवादित भूखण्ड हिस्सा 1/2 में से कोई भूखण्ड अथवा उसका भाग किसी भी प्रकार से रहन वय किसी अन्य व्यक्ति को नही करे वादी को 1/2 हिस्से परशान्ति पूर्वक काबिज रहने दें। 90बी का आदेश जो वादी की गैरमोजूदगी में पारित किया गया है उसे वादी के हिस्से 1/2 तक के लिए निरस्त किय जावे तथा प्रतिवादी नं0 3 को पाबंद किया जावे किवह वादी के हिस्से 1/2 की भूमि में कोई पट्टा आवासीय संपरिवर्तन का जारी नही करें। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी ने सजरा में देवीलाल व घीस्या के अलावा भग्गो को छिपाया है। जब कि भग्गो कल्ली की लडकी थी जो मर चुकी है। उसका वारिस कल्याण है। जो भग्गो की लडकी का लडका है। इसके अलावा कल्ली को लच्छा का लडका बताया है। यह भी गलत है। कल्ली तुरसी का लडका है। जिसके अलावा तुरसी के कल्ली के अलावा, नथुआ, मूला व भम्वल और हुए है जिनकी मौजूदगी को सजरे में छिपाया गया है। कल्ली की लडकी भग्गो को भी छिपाया गया है। नथुआ की लडकी सरस्वती व राधा है। नथुआ के तीन लडके हुए, हुकमा, वल्ली व बाबू है। हुकमा व वल्ली मर चुके हैं। वल्ली का लडका प्रकाश मौजूद हैं। इस प्रकार वादी द्वारा पेश शुदा सजरा व खुद वल्ली की वल्दीयत को छिपाया गया हैं। कल्ली वल्द लच्छा का कोई आदमी तुरसी की संतान नही हैं। आराजी खसरा नं0 7011 को कभी भी कल्ली ने नही जोता है। और इस जमीन को हमेशा से ही वाहिद घीस्या जोत रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मै धीरया 75 साल का हूं और 50 सौ साल से वाहिद इस जमीन को अकेला जोत रहा हूं। अकेला फसल उठाता हूं। देवीलाल व बुद्धु ने कभी भी इस जमीन को नही जोता है। इस जमीन के पडौसी बद्री व रामचरण, हनुमन्ती, छोटे, वगै0 पडोसी है। जो लगातार वाहिद प्रतिवादी के कब्जे काश्त को देखते आ रहे है। इस जमीन का खाता भी मुझ धीरया के नाम है। जो 15.3.1964 के समय से लगातार चला आ रहा है और मै लगातार भेज दे रहा हूं। देवीलाल छोटी खिडकिया के पास की जमीन को और अब मेरी इस जमीन को लेना चहाता है। वह 4 वीघा 4 विस्वा जमीन भी हमारे पुरखा, कल्ली, देवीलाल, धीरया तीनो ही काश्त करते थे। और उस जमीन को मोहनलाल को देवीलाल, बुद्धु ने बेच उिदया जब कि वो जमीन शामिल की थी, बडा देवीलाल था इसलिये उस समय उसका खाता देवीलाल के नाम बन गया। वादी का यह कहना गलत है कि कल्ली जिन्दा रहा तब तक उसने काश्त की उसे बाद वादी व प्रतिवादी ने 1 ने शामिल में काश्त की हो। वादी का यह कहना भी गलत है कि 30 साल पहले पटवारी से मिल कर चालाकी से खाता अपने नाम बना लिया हो। खाता बनने की जानकारी देवीलाल व बुद्धु को पहले से ही थी आर 4 वीघा 4 विस्वा जमीन उनके नाम थी। यह कहना भी गलत है कि गणेशी से मुझ प्रतिवादी की कहना सुन हुई हो। और तब वादी को पता पडा हो। वादी ने 1.9.08 के व 2.9.08 के वाकयात झूठे दर्ज किये है। वादी को प्रतिवादी द्वारा लीलादेवी को, सीताराम शर्मा को व हरिओम शर्मा, राजेन्द्र आदि गौड, राधादेवी मित्तल महेश गुप्ता व रामबाबू शर्मा को मुझ प्रति.द्वारा प्लाट काटने की खूब जानकारी थी। और इन प्लाटो पर तामीर हो चुकी हैं। यह जमीन आबादी में दर्ज हो चुकी है। और 90 बी की कार्यवाही होकर नगरपालिका में स्थानान्तरण हो चुकी है जिसे वादी ने स्वयं पैरा नं0 3 में माना है। 90बी की कार्यवाही होने के बाद जमीन नगरपालिका में दर्ज होने के बाद इसका दावा रेवेन्यू कोर्ट के समाअत का नही रहता है। 90बी की अपील भी वादी ने नही की हे। वादी ने 19/1/09 को नकल जमाबंदी लेने की बात गलत दर्ज की है। जमाबंदी की नकल तो कोई भी आदमी कितनी भी बार ले सकता है। सिर्फ बहाना के बतौर जमाबंदी 19.1.09 को लेने की बात दर्ज की है जब 5–6 साल पहले ही लीलाल ने मकान बना लिया उस समय वादी ने नकल क्यो नपही ली इसका कोई कारण नही बातया। बुद्धु व देवीलाल दोनो ही उसी जमीन में रहने थे जो जमीन 4 वीघा 4 विस्वा थी औश्र बेचने के बाद उसे जमीन मे जिसमें रहते थे एक प्लाट रख लिया और अब भी उसी मे रहते है। वादी का इस जमीन मे ना तो कोई हक है, नाही हिस्सासा है नाही कोई कब्जा है। धीस्या ने जिन जमीनों को मकान बनाने के लिए प्लाट बेच दिया है। प्लाट नं0 20,23,24 सुआवाई को इकरार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नाम से बेचे गए हैं। 21,22,25 विमला को इकरारनामा से बेचे गए हैं। उनका कब्जा है और वे ही तामीर कर रहे हैं। और 4 प्लाट बाढईयो को इकरारनामा पर बेच दिए हैं। इस प्रकार कोई जमीन खाली नही बची हैं। सारी जमीन बेची जा चुकी हैं। वादी का इन जमीनों पर ना तो कोई हिस्सा है ना ही वादी बंटवारा कराने का अधिकारी है। वादी को जानकारी नही है। वादी का यह कहना भी गलत है कि 90 बी की कार्यवाही उसके हको पर बेअसर है यह अधिकारी 90बी के खिलाफ अगर कोई है तो वह डिवीजनल कमिश्नर भरतपुर को हैं। नगरपालिका अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है जो विगर नोटिस दिये उसके खिलाफ चलने योग्य नही हैं। वादी कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वादी इन्जेक्शन जारी कराने का भी अधिकारी नही है। क्यो कि वादी काबिज नही है। इन्जेक्शन का दावा कब्जेदार ही कर सकता है। जिसका कब्जा न हो उसे इन्जेक्शन का दावा करने का अधिकार नही है। वादी खातेदार नही है। इसलिये उसका बंटवारा का दावा चलने योग्य नही है। उसका दावा हमारे के डिकलेरेशन का भी नही हैं। बिनायमुखासमत का है जो गलत है और स्वीकार नही है। वादी को कोई बिनायमुखासमत पैदा नही हुई। दावा श्रीमानजी के समाअत का भी नही है। क्यो कि जमीन आबादी में हैं। 90बी की कार्यवाही होने के बाद दावा सिविल कोर्ट के समाअत का है। दावा मियाद में नही है न ही उसने कोई मियाद में होने बाबत् कोई आर्टीकल व सेक्शन बताये हैं। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः—

1. आया वादग्रस्त आराजी ख0न0 7011 रकवा 1 वीघा 04 विस्वा ग्राम कस्बा करौली वादी के खास वावा कल्ली पुत्र लच्छा के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा हैं। वादी अपने 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। —वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 1 के साथ संयुक्त खातेदारी है। वादी अपने 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी नं0 1 से बंटवारा कराने का अधिकारी है। —वादी
3. आया वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। —वादी
4. आया दावा वादी म्याद है। —प्रतिवादीगण
5. आया दावा वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही है। —प्रतिवादीगण
6. अनुतोष :—

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वाद विवाधक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 राजेश के बयान लेखबद्वा कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2019–22 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2027–30 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2048–51 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2056–59 प्रदर्श–8 एवं नकल जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श–9 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 17.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 7011 वाके कस्बा करौली रकवा 1 वीघा 4 विस्वा वादी के खास बाबा कल्ली पुत्र लच्छा के खातेदारी पुरखो के समय की पैतृक सम्पत्ति स्थित है वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 खास चाचा भतीजे है। सजरा मद नंबर 1 मे दर्ज है। घीस्या शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है आराजी खसरा नंबर 7011 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा को वादी के बाबा कल्ली जब तक जिन्दा रहे तब तक उन्होने काश्त की तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादी के पिता एवं वादी ने उक्त भूमि को काश्त किया क्योंकि प्रतिवादी नौकरी पर रहता था वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने भूमि को काश्त किया वादी बिल्कुल अनपढ व्यक्ति है प्रतिवादी नं0 1 सरकारी नौकरी में रहने के कारण चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है प्रतिवादी घीस्या ने कल्ली की मृत्यु के बाद करीब 35–40 साल पहले पटवारी हल्का से साज करके विवादित आराजी खसरा नं0 7011 वाके कस्बा करौली का खाता फर्जकारी करते हुये वादी से पोशीदा रखते हुयें अपने नाम विधि विरूद तरीके से करा लिया लिया जिसकी कोई जानकारी हमे नही हुई क्योंकि प्रतिवादी नक्बर 1 से हमारे संबंध कभी खराब नही हुये लेकिन घीस्या और गपेशी ने आपस में इस जमीन के बारे में कहन सुन किये दिनांक 1.9.08 को होने पर वादी को शक हुआ तो वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 से दिनांक 2.9.08 को कहा कि चाचा घीस्या अब तुम्हारे दिल में बेईमानी आ रही हैतुमने इस शामलाती भूमि में से बिना मेरे पूछे सीताराम, लीलादेवी, हरिओम, लटूर, हरफूल, राजेन्द्र, श्रीमति पूनी, राधा देवी, महेश, रामबाबू को प्लाट बेच दिये है जो गलत है इसलिए तुम जमीन का बंटवारा करके आधी जमीन मेरी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

अलग करदो तो प्रतिवादी नं0 1 घीस्या ने कहा कि अभी तो कुछ प्लाट ही बेचे है पूरी जमीन खाली पटटी है इसमें से आधी जमीन तू ले लेना उसके पश्चात वादी कईयो बार प्रतिवादी नं0 1 के यहां गया तो वह कभी पटवारी का कभी अधिकारी का नही होने का बहाना बनाकर मुझे टालता रहा अन्त में दिनांक 18.1.09 को प्रतिवादी नं0 1 घीस्या ने वादी से कहा कि जमीन का खाता मेरे नाम है मै तुम्हें कोई भी हिस्सा नही दूंगा तो वादी ने दिनांक 19.1.09 को विवादित भूमि की जमाबंदी की नकले प्राप्त करने की दर0 लगाई जो वादी को दिनांक 20.02.09 को प्राप्त हुई इनको देखने पर पता चला कि प्रतिवादी ने कल्ली की मृत्यु के पश्चात जमीन का खाता पटवारी हल्का बदलने का कोई भी नामान्तकरण का नोट जमाबंदी पर अंकित नही है। संवत 2023–2026 की जमाबंदी में खातेदारी कल्ली पुत्र लच्छा के नाम अंकित है तथा संवत 2027 से 2030 की जमाबंदी में खातेदारी घीस्या पुत्र कल्ली के नाम अंकित है जबकि इन दोनों ही जमाबंदियों में नामान्तकरण का नोट अंकित नही है जो प्रतिवादी नं0 1 की फर्जकारी को स्पष्ट करात है। विवादित भूमि में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी अपने हिस्से को अलग करा कर अपने नाम की घोषणा 1/2 हिससे की तथा बंटवारा कराने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात खसरा नं0 7011, 90बी के तहत नगर पालिका करौली को स्थानान्तरित की जा चुकी है जिसकी मुझ वादी को कोई जानकारी नही थी और ना ही मुझ वादी की कोई सहमति थी इस कारण वादी 90बी के उक्त आदेश को अपने हक हकूको पर बेअसर करार दिलवाने का अधिकारी है। इस कारण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका करौली को दावे में पक्षकार बनाया जा रहा है। चूंकि तहसीलदार लैण्ड होल्डर है इस कारण उसे वहैसियत प्रतिवादी दावा दर्ज किया जा रहा है। प्रतिवादी सहजोर ताकतवर व्यक्ति है और जबरन विवादित भूमि में आवासीय भूखण्ड व्यय करके वादी के हक हकूक को समाप्त करना चाहता है इस कारण प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विवादित भूमि के शेष रकवे 1/2 में किसी भी प्रकार से रहन वय मुन्तकिल नही करे यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नही किया गया तो वादी के हक हकूको पर भारी आघात होगा जिसकी पूर्ति जरिये नकद कतई संभव नही है वादी विवादित भूमि के 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम कराकर बंटवारा कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दिनांक 18.01.09 को अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर मियाद पेश है श्रीमानजी को दावा सुनने के पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 7011 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा वाके कस्बा करौली का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आराजी खसरा नं0 7011 वाके कस्बा करौली का बंटवारा कराया जाकर 1/2 हिस्सा वादी का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स सेपरेट किया जावे प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से 1/2 में किसी प्रकार की मदाखलत ना तो सवयं करे ना किसी अन्य से कराये तथा विवादित भूखण्ड हिस्सा 1/2 में से कोई भूखण्ड अथवा उसका भाग किसी भी प्रकार से रहन वय किसी अन्य व्यक्ति को नही करे वादी को 1/2 हिस्से परशान्ति पूर्वक काबिज रहने दें। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 ता 3 एक–दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इनका एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। वादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 एवं जमाबंदी संवत 2019–19 प्रदर्श–2 पेश की है। जिनमें भूमि कल्ली पुत्र लच्छा माली के खातेदारी में दर्ज है एवं प्रदर्श–1 में भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने जबावदावा में उक्त आराजीयात में मकानात निर्माण होना बताया है जिसका कोई खण्डन वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। भूमि कृषि भूमि नहीं रह जाने के कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी में कोई घोषणा खातेदारी व बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। सम्पूर्ण भूमि में आबादी निर्माण होकर रिहायशी उपयोग हो रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 ता 3 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्यकों के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 4 व 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 6 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से भूमि वादग्रस्त में आबादी निर्माण होकर रिहायश हो जाने से कृषि उपयोग नहीं होने से वादीगण कोई घोषणा व बंटवारा कराने के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली